न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल, आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 03/2019

दायर दिनांकः 11.11.2019

निर्णय दिनांक 09.12.2021

—:अनवान:—

राज्य सरकार जरिये विजय सिंह, प्रर्वतन अधिकारी, राजसमन्द

—प्रार्थी

—:बनाम:—

श्री गोपीलाल खटीक, उचित मूल्य दुकानदार, जेतपुरा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तुत अधिनियम, 1955

उपस्थितः—

1— पेरोकार सरकार प्रार्थी

2— अप्रार्थी अनुपस्थित

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत इस न्यायालय में दिनांकः 06.11.2019 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि दिनांक 31.01.2019 को रसद विभाग के जांच दल (विजय सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं रणजीत सिंह, प्रर्वतन अधिकारी) द्वारा तहसील आमेट में संचालित उचित मूल्य दुकान, जेतपुरा, ग्राम पंचायत जेतपुरा, तहसील आमेट जिला राजसमन्द का वक्त निरीक्षण डीलर स्वयं अनुपस्थित मिले, दुकान पर उनका प्रतिनिधि पुष्कर खटीक उपस्थित मिला। उपस्थित प्रतिनिधि रूबरू मौतबिरान भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान नीला केरोसीन शून्य स्टॉक के मुकाबले 220 लीटर अधिक पाया गया, जो वितरण से बचा कर भण्डारित किया गया हैं। उक्त अवैध रूप से संग्रहित 220 लीटर केरोसीन स्टॉक का मय ड्रम जब्त कर ग्राम सेवा सहकारी समिति, जेतपुरा के व्यवस्थापक श्री नारायण गुर्जर तहसील आमेट की सुपुदर्गी में दिया गया। उचित मूल्य दुकानदार गोपीलाल खटीक का उक्त कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी को जारी नोटिस में अप्रार्थी की मृत्यु होना बताया जाकर नोटिस उनकी पुत्रवधु द्वारा लिया गया। तथा जिला रसद अधिकारी राजसमन्द के पत्र क्रमांक 4993 दिनांक 09.12.2021 से

भी वर्तमान में तत्कालीन उचित मूल्य दुकानदार, सेन्टर जेतपुरा तहसील आमेट श्री गोपीलाल खटीक की मृत्यु हो चुकी हैं।

अप्रार्थी अनुपस्थित। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए बताया कि अप्रार्थी की दुकान का निरीक्षण किये जाने पर मौके पर नीला केरोसीन शून्य स्टॉक के मुकाबले 220 लीटर अधिक पाया गया, जो वितरण से बचा कर भण्डारित किया गया हैं। उक्त अवैध रूप से संग्रहित 220 लीटर नीला केरोसीन स्टॉक का मय ड्रम जब्त कर ग्राम सेवा सहकारी समिति, जेतपुरा के व्यवस्थापक श्री नारायण गुर्जर तहसील आमेट की सुपुदर्गी में दिया गया। अतः अप्रार्थी से जब्त किया गया 220 लीटर नीला केरोसीन जो कि अधिक पाया गया और उसे जब्त सरकार किया गया को राजसात किये जाने के आदेश फरमायें जावें।

पेरोकार सरकार की बहस पर गहन मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। अप्रार्थी की उचित मूल्य की दुकान की जांच में अप्रार्थी द्वारा 220 लीटर नीला केरोसीन का अधिक मात्रा में पाये जाने पर प्रार्थी द्वारा उसे जब्त सरकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण को अपना पक्ष रखनें हेतु विधिवत तरीके से जरिये नोटिस सूचित किया गया। किन्तु अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने से उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा 220 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किया जाना उचित हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 220 लीटर नीला केरोसीन को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 220 लीटर नीला केरोसीन का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द

निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमन्द